



संख्या-51/2026/001-1178-2026-2090968-12-2099-390-2026

प्रेषक,

संजीव रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 17 सितंबर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्राप्त अनुपूरक अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या:एस0एफ0-1652-टी/नान प्लान/वित्तीय सवीकृत-180/1356340 दिनांक 02 सितम्बर, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना में अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त धनराशि ₹0 1000.00 लाख (₹0 दस करोड़ मात्र) की मानक मद 02-मजदूरी में धनराशि रुपये 191.80, 42-अन्य व्यय में धनराशि 137.22 लाख व 43-सामग्री सम्पूर्ति में धनराशि 670.98 की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

शर्तें/नियम

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइडलाईन्स/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मद में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
4. उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, 30प्र0 का होगा।
5. आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, 30प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6. कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
7. कृषि निदेशक, स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेंगे।
8. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।
9. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. कृषि निदेशक सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लेंगे। जहाँ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।
11. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
15. अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और	02 मजदूरी	1,91,80,000 (रुपये एक करोड़ इक्यानवे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र		लाख अस्सी हजार मात्र)
2	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	42 अन्य व्यय	1,37,22,000 (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख बाईस हजार मात्र)
3	011	2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	6,70,98,000 (रुपये छह करोड़ सत्तर लाख अट्ठानबे हजार मात्र)
	कुल			10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)

महायोग	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय -व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
संजीव रंजन
विशेष सचिव।

संख्या- /2026/001-1178-2026-2090968-12-2099-390-2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ/संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डॉ० रंजना दूबे

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनु सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।